न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
जमाबन्दी सुधार अपील वाद संख्या–23/84–85
सरकार –बनाम– मो0 यासीन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
18.12.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत् वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा वाद सं0–08/83–84 (सरकार बनाम मो0 यासीन एवं अन्य) अन्तर्गत धारा 4(एच) बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित आदेश दिनांक 12.03.84 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने तथा संबंधित अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा से स्थलीय जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा के पत्रांक 234 दिनांक 09.04.08 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के पत्रांक 339 दिनांक 02.04.2016 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित है, जो अभिलेख पर संधारित है। अभिलेख अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि विपक्षी सं0–1 मो0 यासीन के मृत्योपरान्त उनके उत्तराधिकारी मो0 अताउर रहमान को विपक्षी सं0–1 के प्रतिस्थानी की स्वीकृति दी गयी है। शेष विपक्षी सं0–2 एवं 3 तामिला के बाद भी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गयी है। सरकार की ओर से विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश स्थापित विधि एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त के समर्थन में विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद में सन्निहित भूमि खाता 81 (पु0) खेसरा 360 (पु0) किस्म पोखर, रकबा 4.56 डी0 एवं खेसरा सं0–218 (पु0) किस्म डबरा, रकबा 88डी0 पुराना खतियान में गैर मजरूआ आम अंकित है। हाल सर्वे खतियान में उक्त भूमि खाता सं0–205 (नया) खेसरा सं0–683 (पु0) किस्म पोखर रकबा 4.68 डी0 एवं खेसरा सं0–380 (नया) रकबा 93 डी0 अनावाद सर्व साधारण के नाम अंकित है, जो आमजन के उपयोग में आता चला आ रहा है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि प्रश्नगत् आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि कथित बन्दोबस्ती/जमीन्दारी रसीद के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह	

स्पष्ट को सके कि बन्दोबस्ती 1946 के पूर्व की गयी हो। जमीन्दारी उनमूलन पश्चात् नियमों के तहत गैर मजरूआ आम जमीन स्वतः राज्य सरकार में निहित हो गयी। हाल सर्वे खतियान में अंकित विवरणी के विरूद्ध भी विपक्षी के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति सक्षम प्राधिकार में दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आदेश में अंकित भौतिक सत्यापन का कथन भी वास्तविक तथ्य के विपरीत है। अभिलेख पर संधारित अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा के पत्रांक 234 दिनांक 09.04.2008 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के पत्रांक 339 दिनांक 02.04.2016 से स्पष्टतः यह प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत् भूमि का स्वरूप वर्त्तमान में पोखरा है। अतः उक्त नियामक तथ्य के अनुरूप भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश अभिलेख संधारित तथ्यों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि का स्वरूप बदल जाने के पश्चात् भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा वर्ष 1348 फसली में विपक्षी के पूर्वजों के नाम बन्दोबस्ती रसीद कायम की गयी। भूतपूर्व जमीन्दार में यह शक्ति सन्निहित थी कि वे गैर मजरूआ आम जमीन की भी बन्दोबस्ती कर सकते थे। भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा किये गये रसीदी बन्दोबस्ती के आधार पर विपक्षी द्वारा राज्य सरकार को लगान दी जा रही है। प्रश्नगत् भूमि कभी भी सरकार में निहित नहीं हुई है। प्रश्नगत् भूमि सरकार द्वारा संधारित सैरात सूची में अंकित नहीं है। प्रथमतः वर्ष 1968 में विपक्षी के विरोधियों द्वारा दिये गये आवेदन पर अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा सैरात बन्दोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा ससमय आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा विधि–सम्मत् आदेश पारित किया गया है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त करने की कृपा की जाय, क्योंकि प्रश्नगत् वाद में सन्निहित भूमि पर धारा 4(एच) की कार्रवाई विधि मान्य नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगत है कि प्रश्नगत् भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे में गैर मजरूआ आम किस्म पोखर एवं डबरा के रूप में अंकित है, जो हाल सर्वे में अंकित विवरणी से सम्पुष्ट है। अभिलेख पर संधारित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा

पारित आदेश में निम्नांकित त्रुटियाँ हैं :–

1. प्रश्नगत् भूमि से कथित बन्दोबस्ती जो विपक्षी के पूर्वजों के नाम है की वैधानिकता का आधार स्पष्ट नहीं है।
2. इस न्यायालय में विपक्षी के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 03.08.1986 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी के नाम प्रश्नगत् भूमि की जमाबन्दी सं0–102, 103 एवं 104 कायम है या नहीं, जबकि प्रश्नगत् आदेश में इसकी सम्पुष्टि की गयी है।
3. कथित कायम जमाबन्दी के आधारतत्त्व की भी विवेचना नहीं की गयी है।
4. रसीदी बन्दोबस्त जिसका जमींदारी रिटर्न भी नहीं है, मान्य नहीं हो सकती है।

अतः उक्त नियामक तथ्यों की विविधता के परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.84 हस्तक्षेप योग्य है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.84 को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि से सैरात बंदोबस्ती विहित प्रक्रिया अपनाते हुए करें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।